न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–19/2021 **धारा–144 दं0प्र0सं0**

अनन्त कुमार पाण्डेय–बनाम–दामोदर राय वगै0

ख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

आवेदक के आवेदन को सुनने के पश्चात उभय पक्षों के विरूद्ध मौजा गैंडा थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 143, प्लॉट सं0 673 रकबा 0.26 ए0 भूमि जिसका चौहदी उ0–उतीम पाण्डेय द0–रोड पू0–दुर्गा राय प0–गणेश पाण्डेय वाली भूमि पर धारा–144 दं0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही प्रारभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर भूमि संबंधी कागजात एवं कारणपृच्छा की मांग की गयी।

आवेदक अपने आवेदन पत्र में लिखित बयान दिया है कि विवादित भूमि खाता सं0 143, प्लॉट सं0 673 रकबा 0.26 ए0 मधे रकबा 04 डी0 इनके दादा स्व0 विधा राम पाण्डेय के द्वारा बजरिये रजिस्ट्री केवाला प्राप्त है, जिसका डीड सं0 415, दिनांक 20.01.1954 उपरोक्त जमीन की रजिस्ट्री लेखाकारी जगदीश राय पिता पूरन राय के द्वारा की गयी जो खाताधारी के पुत्र है। पुरब की ओर गली है जो लगभग 05 फीट चौडी है, जिससे सभी परिवार बाहर निकलते हैं एवं रोड तक जाने का एक मात्र रास्ता है। गली मकान के निर्माण के समय ही रखा गया है और इसका उपयोग विगत 60–65 वर्षो से निःविरोध रूप से किया जा रहा है परन्तु इनके द्वारा नव निर्माण पक्का मकान का छज्जा उस गली में गिराकर हडपना चाहता है। साथ ही आने जाने के लिए रास्ते को बंद कर देता है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया है:7

1. केवाला की प्रति
2. रसीद की प्रति।

द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल किया जिसमें उल्लेख किया है कि खाता सं0 143, प्लॉट सं0 673 में कुल रकबा 0.26 ए0 है। जिसमें से प्रथम पक्ष के चाचा गणेश पाण्डेय द्वारा मात्र 04 डी0 जमीन की खरीद बजरिये केवाला द्वारा की गयी है, जिसका डीड नं0 415, दिनांक 20.01.1954 है। 26 डी0 जमीन में 04 डी0 गणेश पाण्डेय के पास विक्रय करने पर कुल भूमि 22 डी0 बचा है। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त खाते की कुल रकबा 26 डी0 पर वाद की कार्रवाई हेतु नोटिस प्राप्त है। जो नियमानुसार गलत है एवं प्रथम पक्ष द्वारा जमीन की चौहदी को गलत बतलाया गया है। जमीन की चौहदी उ0–उतीम पाण्डेय द0–रोड पू0–जग्गू कहार, प0–जग्गू कहार है एवं प्रथम पक्ष की चाहरदीवारी एव मेरी चाहरदीवारी अलग–अलग है। इसलिए इस वाद को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा तथा संलग्न कागजात का अवलोकन के बाद एवं दोनों पक्षों के बयान सुनने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि खाता स0 143, प्लॉट सं0 673, रकबा 26 डी0 में से मूल रैयत के द्वारा 04 डी0 जमीन बिक्री की गयी, जिसपर दोनों पक्षों ने अपनी–अपनी सहमति दर्ज किया। उक्त सहमति के आलोक में अंचल अधिकारी बरकट्ठा को संबंधित भूमि का सीमांकन करते हुए कोर्ट को एक रिपोर्ट समर्पित करें। दोनों पक्षों में सहमति हो जाने के कारण किसी तरह के विधि–व्यवस्था भंग होने की संभावना नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:09:08 +05:30
Location: 192.168.101.22

19/03/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

19/03/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग